प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक / मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 800 / एनआरईजीएस सेल–36 / 2008 लखनऊः दिनांक 30 मई, 2008

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद धनराशि की बजटिंग जनपद स्तर पर करते हुए विकास खण्डों को आवश्यकतानुसार वितरण के संबंध में।

महोदय,

विभिन्न जनपदों के भ्रमण तथा खण्ड विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान यह बात संज्ञान में आयी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य 4 प्रतिशत धनराशि का वितरण विकास खण्डों की आवश्यकतानुसार नहीं किया जा रहा है। साथ ही उस धनराशि से दिये जाने वाले कर्मचारियों के मानदेय का वितरण भी नहीं किया जा रहा है।

इन कार्यो हेतु आवश्यक धनराशि यदि विकास खण्डों / ग्राम पंचायतों को उपलब्ध नहीं हो पाती तो एक ओर मानदेय के आधार पर रखे कर्मचारियों में असंतोष पैदा होगा तथा दूसरी ओर योजना का क्रियान्वयन प्रभावित होगा। वित्तीय वर्ष 2007–08 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग सभी जनपदों द्वारा अनुमन्य 4 प्रतिशत धनराशि का उपयोग नहीं किया है।

इन विषमताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित होगा कि भारत सरकार के शासनादेश संख्या 28012 / 3 / 05–06–एनआरईजीए दिनांक 30 मार्च, 2007 में दिये गये निर्देशों एवं अनुमन्य मदों (आई0ई0सी0, प्रशिक्षण, एम0आई0एस0, गुणवत्ता नियंत्रण, शिकायत निवारण प्रक्रिया, Engaging professional services, कार्यालय व्यय, कम्प्यूटर से संबंधित स्टेशनरी, एनआरईजीएस के क्रियान्वयन हेतु तैनात स्टॉफ, कार्य स्थल पर उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें इत्यादि) को दृष्टिगत रखते हुए पूरे वर्ष का जनपद स्तर पर विकास खण्डवार बजट तैयार कर लिया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि सर्वप्रथम योजनान्तर्गत तैनात कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान एवं अन्य आवश्यक मदों में व्यय (मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए) सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

Manoj 29.5.08

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

C:\Documents and Settings\lenovo\My Documents\raj shri.doc

पत्रांकः /एनआरईजीएस सेल– /2008 लखनऊः तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ

(अनुराग यादव)
अपर आयुक्त (एनआरईजीएस)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।